**प्रेस विज्ञप्ति**

05.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी एवं अन्य संबद्ध संस्थाओं के नाम पर संचालित धोखाधड़ीपूर्ण निवेश योजनाओं के माध्यम से अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के कथित अपवर्तन एवं शोधन से संबंधित जांच के सिलसिले में दिनांक 02.11.2026 को अविनाश अर्जुन राठौड़ को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए मामले), मुंबई ने आगे की जांच के लिए आरोपी को दिनांक 04.11.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत चतुर्श्रृंगी पुलिस स्टेशन, पुणे द्वारा अविनाश राठौड़ एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की गई। यह मामला अविनाश अर्जुन राठौड़ द्वारा संचालित संस्थाओं, जिनमें मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी भी शामिल है, में निवेश करने के लिए निवेशकों को लगभग 5% मासिक लाभ तथा 20 महीनों तक मूलधन का 5% प्रतिमाह वापस करने का आश्वासन देकर उनसे धनराशि एकत्र करने से संबंधित है। बाद में यह मामला आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), पुणे को हस्तांतरित कर दिया गया। अब तक की जांच में सामने आया है कि लगभग 587 निवेशकों ने उक्त योजना में करीब 157 करोड़ रुपये का निवेश किया था, जिसमें से लगभग 89 करोड़ रुपये कथित रूप से निवेशकों को वापस नहीं किए गए।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में सामने आया है कि अविनाश अर्जुन राठौड़ मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी के मामलों पर नियंत्रण रखने वाला प्रमुख व्यक्ति था। एलएलपी में उसकी लगभग 90% हिस्सेदारी थी तथा वह इसके दैनिक प्रबंधन एवं वित्तीय निर्णयों, जिसमें इसके बैंक खातों का संचालन भी शामिल है, के लिए जिम्मेदार था। वह कथित रूप से मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय लेन-देन तथा धनराशि के आवागमन के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था।

आगे की जांच में सामने आया है कि निवेशकों से एकत्र की गई धनराशि को मेसर्स एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी एवं इसकी संबद्ध संस्थाओं, जिनमें मेसर्स एपीएस स्मार्ट गेन एलएलपी तथा अन्य संस्थाएं शामिल हैं, के कई बैंक खातों के माध्यम से अंतरित किया गया। बैंक खातों एवं वित्तीय अभिलेखों के विश्लेषण से विभिन्न बैंकिंग माध्यमों के जरिए खातों के बीच बड़े पैमाने पर धनराशि के अंतरण एवं आवागमन का पता चला है। जांच में अविनाश अर्जुन राठौड़ के व्यक्तिगत बैंक खातों से जुड़े लेन-देन की भी पहचान की गई है, जिनमें विभिन्न व्यक्तियों को धनराशि का अंतरण तथा प्रतिभूतियों में निवेश शामिल हैं। इन लेन-देन की जांच धनराशि के अंतिम उपयोग एवं लाभार्थियों की पहचान स्थापित करने के लिए की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, आरोप हैं कि अविनाश राठौड़ एवं उसकी पत्नी अप्रैल 2023 में भारत छोड़कर दुबई चले गए थे, जहां उसने अपने स्वामित्व वाली मेसर्स वेल्थप्रो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट एलएलसी के

नाम पर निवेशकों को इसी प्रकार के सुनिश्चित प्रतिफल देने का आश्वासन दिया था। इस संबंध में भी जांच की जा रही है।

आरोपी को दिनांक 02.11.2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था तथा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसने उसे दिनांक 04.11.2026 तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। अपराध की आय के संपूर्ण धन प्रवाह का पता लगाने, इसके लाभार्थियों की पहचान करने, उससे अर्जित संपत्तियों का पता लगाने तथा अपराध की आय के कथित शोधन में शामिल अन्य व्यक्तियों एवं संस्थाओं की भूमिका स्थापित करने के लिए आरोपी से आगे हिरासत में पूछताछ की जा रही है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।